खंड–११ संख्या–२४

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग–२ कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित।)

बुधवार, तिथि १९ मार्च, १९७५

विषय-सूची

		पृष्ठ
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य के सम्बन्ध में चर्चा।	..	१
विधान कार्य : अध्यादेश की अस्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प :		
बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) अध्यादेश, १९७५ (अस्वीकृत)।	..	२–३२
बिहार विधान-परिषद् द्वारा यथापारित बिहार कार्यपालक मैजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियाँ) विधेयक, १९७५ के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा।	..	३२–३७
ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य :		
(क) राज्य में बढ़ती हुई चोरी, डकैती एवं राहजनी से उत्पन्न स्थिति।	..	३७–३९

अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त २८,६०० (अठाइस हजार छौ सौ) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(८) पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह कि :

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के २४ से २५ एवं ३२ से ३९ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजनाओं के लिए ''पुलिस, आग से बचाव एवं अन्य प्रशासनिक सेवायें'' के संबंध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा विहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त १,६२,११,३५० (एक करोड़, बासठ लाख, ग्यारह हजार, तीन सौ पचास) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(९) जेल

उपाध्यक्ष— प्रश्न यह है कि :

''द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के २५ से २७ पृष्ठों पर की अनुसूची में दी हुई योजना के लिए ''जेल'' के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७५ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग (संख्या २) अधिनियम, १९७४ तथा विहार विनियोग (संख्या ३) अधिनियम, १९७४ द्वारा स्वीकृत खर्च के अतिरिक्त ७२,०७,००० (बहत्तर लाख, सात हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।